न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 70/2016

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ RAS

1 कर्णसिंह पुत्र महावीर जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 गब्दु पुत्र भोलिया।
2 सरिया पत्नी नानड़।
3 मनफुल पुत्र नानड़।
3/1 माडी देवी स्त्री मनफुल।
3/2 कृष्ण पुत्र मनफुल।
3/3 राजेश पुत्र मनफुल।
4 शिवलाल पुत्र नानड़।
4/1 रामफल पुत्र शिवलाल।
4/2 सत्यवीर पुत्र शिवलाल।
4/3 सतपाल पुत्र शिवलाल।
4/4 सुन्दर सिंह पुत्र शिवलाल।
5 धर्मपाल पुत्र नानड़।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

6 उमराव पुत्र नानड़।
7 अमरसिंह पुत्र अमीलाल।
8 सुल्तान पुत्र अमीलाल।
9 कर्णसिंह पुत्र अमीलाल।
10 निहालसिंह पुत्र शंकर समस्त जाति कुम्हार निवासीगण कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
11 राजस्थान ग्रामीण बैंक (बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) कुहाड़वास जरिये शाखा प्रबन्धक।
12 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बुहाना।
13 नानची पत्नी रूपसिंह।
14 सुभाष पुत्र रूपसिंह समस्त जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
15 कौशल्या पुत्र रूपसिंह पत्नी रणसिंह जाति जाट निवासी जाट बहरोड़ जिला अलवर।
16 विमला पुत्र रूपसिंह पत्नी देवप्रकाश जाति जाट निवासी मन्दोला जिला दादरी हरियाणा।
17 सन्तोष पुत्र रूपसिंह पत्नी जोगीन्द्रसिंह जाति जाट निवासी मन्दोला जिला दादरी हरियाणा।
18 सुशीला पुत्री रूपसिंह पत्नी तेजसिंह जाति जाट निवासी सानगरपुरा।
19 राजेश पुत्र प्रभु जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
20 अरूणा पुत्री महेन्द्र सिंह पत्नी महावीर।
21 सरिता पुत्री महेन्द्र सिंह।
22 सुन्दरी पुत्री महेन्द्र सिंह।
23 नीलम पुत्री रणवीर।
24 दाखा देवी पत्नी महावीर।

25 अशोक पुत्र महावीर।
26 नीलम पत्नी रमेश।
27 टोनी पुत्र रमेश।
28 सीमा पुत्री रमेश।
29 पिन्टु पुत्र रमेश समस्त जाति जाट निवासीगण कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
30 सुमन पुत्री महावीर पत्नी धर्मवीर जाति जाट निवासी बोहका तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
31 हनुमानी पत्नी जगतसिंह।
32 रतनसिंह पुत्र जगतसिंह।
33 प्रदीप उर्फ प्रमोद पुत्र जगतसिंह।
34 कमला पत्नी रोहताश।
35 संजय कुमार पुत्र रोहताश।
36 सुनील कुमार पुत्र रोहताश समस्त जाति जाट निवासीगण कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
37 मुन्शी पुत्री जगतसिंह पत्नी सज्जनसिंह।
38 आजाद पुत्री जगतसिंह पत्नी सुभाष समस्त जाति जाट निवासीगण डेरोली तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
39 फुलबाई पुत्री जगतसिंह पत्नी अनूपसिंह जाति जाट निवासी सरेली तहसील नांगल चौधरी जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
40 जयसिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन [illegible] अधिकारी
सीकर (कैम्प झुंझुनूं)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्ताकरी
अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय दिनांक
09.06.2016 बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना राजस्व लोक अदालत
कैम्प कोर्ट कुहाड़वास मुकदमा उनवानी गब्दु बनाम
कर्णसिंह वगैरह मु.नं. 1248/2015 अन्तर्गत धारा
251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित

1. श्री मोहम्मद रफीक अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री मुस्ताक अली अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 6-2-19

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 1248/2015 में पारित निर्णय दिनांक 09.06.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपीलांट व उसके साथ सह खातेदारान की जमीन खसरा नम्बर 220 में से हाल खसरा नम्बर 227 में आने जाने के लिये रास्ते की मांग करते हुये अदालत मातहत के समक्ष धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रार्थना पत्र पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र को अदालत मातहत

ने अपीलान्ट को बिना सुने तथा बिना किसी सूचना के राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बुहाना में आलौच्य निर्णय दिनांक 09.06.2016 में पारित कर दिया। जिसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर दिया है मौके पर वैकल्पिक रास्ता मौजुद है पटवारी की रिपोर्ट पर निर्णय किया है धारा 251ए में तहसीलदार एंव आई.एल.आर. से नीचे के अधिकारी की रिपोर्ट सम्यक नही मानी जाती है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रार्थी के खेत में आवागमन के लिए कोई रास्ता मौजुद नही है धारा 251ए में रास्ता पाने का प्रार्थी अधिकारी है विचारण न्यायालय ने पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई विधि सम्मत निर्णय पारित किया है अपील अपीलांट सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन एंव विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलांट को सुने बिना एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए में स्पष्ट प्रावधान है कि जिस काश्तकार के खेत में आवागमन के लिए रास्ता उपलब्ध नही है वह इस धारा के अन्तर्गत आवेदन कर निकटतम रास्ता निर्धारित नियमानुसार प्राप्त करने का अधिकारी है। इस हेतु विचारण न्यायालय को तहसीलदार अथवा आई.एल. आर स्तर के अधिकारी से

मौका रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने अपीलांट को सुने बिना पटवारी के रिपोर्ट के आधार पर विचाराधीन निर्णय पारित कर दिया है। जिसे विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रार्थी के खेत में आवागमन के लिए रास्ता उपलब्ध है अथवा नही, निकटतम रास्ता कटानी रास्ते तक किस प्रकार सुलभ हो सकता है इस सन्दर्भ में तहसीलदार अथवा आई.एल.आर. स्तर के अधिकारी से मौका रिपोर्ट प्राप्त करें। तदुपरान्त उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2019 को अपनी उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 6.2.19 को सरे इजलास सुनाया गया।

6.2.19

(करतार सिंह पुनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर